आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0–15/2019

उपेन्द्र साह एवं अन्य..........................वादी
बनाम्
अमेरिका देवी वगैरह...............................प्रतिवादी

आदेश

26/2/21

प्रस्तुत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0–15/18–19 में उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, गोगरी द्वारा पारित आदेश दिनांक–14.10.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है।

प्रस्तुत वाद में आवेदकगण का कथन है कि इस वाद के विपक्षी सं0 1 के पति रामोतार साह उनके ही परिवार के सदस्य है तथा उनके परिवार में आपसी पंचनामा बंटवारा हुआ। बंटवारा हो जाने के बाद सभी ने बंटवारा के आधार पर पृथक नामान्तरण हेतु दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 अंचल अधिकारी, बेलदौर के समक्ष दायर किये जिसमें अंचल अधिकारी, बेलदौर, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर नोटिस किये तथा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने पर दिनांक–15.10.2018 को आदेश पारित कर आवेदक सं0 1 से 5 एवं विपक्षी सं0 1 के पुत्र जेन्डील साह के नाम से नामान्तरण की स्वीकृति दिये। आवेदकगण यह भी अंकित करते है कि आवेदक सं0 6 शांति देवी आवेदक सं0 3 एवं 4 से खेसरा 383 एवं 384 का 15 कट्ठा जमीन क्रय किये। अतः उन्होंने भी अपना दाखिल खारिज कराया। आवेदकगण का आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, बेलदौर द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 में पारित आदेश दिनांक–15.10.2008 के विरूद्ध विपक्षी सं0 1 के पति रामोतार साह ने दाखिल खारिज अपील सं0 14/2008–09 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के न्यायालय में दायर किये। जिसें दिनांक–31.10.11 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध रामोतार साह ने कोई पुनरीक्षण वाद दायर नहीं किया। **परन्तु रामोतार साह उपरोक्त दाखिल खारिज अपील सं0 14/08–09 के दिनांक–31.10.11 को खारिज होने के 7 वर्ष वाद दोबारा दाखिल खारिज अपील सं0 15/18–19 पुनः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के न्यायालय में दायर कर दिये तथा इस दाखिल खारिज अपील में लंबित रहने के दौरान रामोतार साह की मृत्यु हो गई।** अतः उनके स्थान पर उनकी पत्नी अमेरिका देवी पक्षकार बनी जो इस वाद में विपक्षी सं0 1 है। आवेदकगण का आगे कथन है कि जब दाखिल खारिज वाद सं0

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई कार बारे में टिप तारीख के सा
1	2	3

728/08–09 के विरूद्ध एक बार दाखिल खारिज अपील सं0 14/08–09 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के समक्ष दायर किया गया जिसे दिनांक–31.10.11 को सुनवाई उपरांत खारिज कर दिया गया तो पुनः उसी दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 के विरूद्ध दोबारा दाखिल खारिज अपील सं0 15/18–19 दायर करना विधि विरूद्ध है परन्तु निम्न न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 15/18–19 में दिनांक–14.10.19 को आदेश पारित कर उसे स्वीकृत कर दिये जो विधि के प्रतिकूल है। आवेदकगण अंकित करते है कि अंचल अधिकारी, बेलदौर द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 में विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मांगे जो आदेश फलक के साथ संलग्न है। हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस की गई जिसका तामिला अभिलेख पर उपलब्ध है तथा पंचनामा पर रामोतार साह के पुत्रों का हस्ताक्षर भी है। अतः दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है। परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी उक्त आदेश के विरूद्ध दायर अपील खारिज अपील सं0 14/08–09 को खारिज करने के बाद दोबारा दायर किया गया। दाखिल खारिज अपील सं0 15/18–19 को स्वीकृत कर दिये। अतः आवेदकगण ने उपरोक्त वर्णित आधारों पर दाखिल खारिज अपील सं0 15/18–19 में पारित आदेश दिनांक–14.10.19 को निरस्त करने की प्रार्थना किये है। आवेदकगण ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है :–

1. दाखिल खारिज अपील सं0 15/18–19 में पारित आदेश दिनांक–14.10.19 की अभिप्रमाणित प्रति।
2. दाखिल खारिज अपील सं0 14/08–09 में पारित आदेश दिनांक–31.10.11 की प्रति।
3. जमाबंदी सं0 139 के अन्तर्गत निर्गत रशीद एवं एप्लीकेशन फॉर इन्फारमेशन की प्रति।

प्रस्तुत वाद में विपक्षी को निबंधित डाक एवं पदचर द्वारा नोटिस भेजी गयी किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अतः उन्हें उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर देने के बाद वाद को एकपक्षीय सुनवाई हेतु निश्चित किया गया। निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

आवेदकगण के अभिकथन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेखों का अवलोकन किया। दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 में विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई और दिनांक 15.10.2008 को नामान्तरण की स्वीकृति दी गयी जिसके विरूद्ध विपक्षी सं0 1 के

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

पति रामोतार साह ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 14/08–09 दायर किये जिसे सुनवाई उपरांत दिनांक–31.10.11 को खारिज कर दिया गया और दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 में पारित आदेश दिनांक–15.10.2008 को बरकरार रखा गया।

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा–7 के अंतर्गत दायर दाखिल खारिज अपील में पारित आदेश से व्यवित धारा 8 के तहत अपर समाहर्त्ता या समाहर्त्ता के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर कर सकते है। प्रस्तुत मामले में रामोतार साह ने दाखिल खारिज अपील सं0 14/08–09 में पारित आदेश दिनांक–31.10.11 को कभी भी पुनरीक्षण वाद दायर कर चुनौती नहीं दिये बल्कि उन्होंने विधि के प्रावधान का उल्लंघन कर दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 में पारित आदेश दिनांक–15.10.08 के विरूद्ध पूर्व में दायर किये गए दाखिल खारिज अपील सं0 14/08–09 के खारिज होने के बाद पुनः दाखिल खारिज अपील सं0 15/18–19 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के ही न्यायालय में दायर कर दिये जो पोषनीय नहीं था। परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी विधि के प्रतिकूल इस दाखिल खारिज अपील सं0 15/18–19 में दिनांक–14.10.19 को बिना वर्त्तमान दखल बिन्दु का सत्यापन किये आदेश पारित कर उसे स्वीकृत कर दिये जो निश्चित रूप से विधि के प्रावधान के प्रतिकूल आदेश है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 15/18–19 में पारित आदेश दिनांक–14.10.19 को निरस्त किया जाता है तथा दाखिल खारिज वाद सं0 728/08–09 में अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी एवं अंचल अधिकारी, ~~गोगरी~~ को अनुपालनार्थ भेजें। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

26/2/21
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० क्रा० 244 दिनांक 3.4.21
प्रतिलिपि- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को दा० खा० अपील वाद सं० 15/18-19 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, बेलदौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- N.I.C खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया